

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2025/371

कार्यालय आदेश

दिनांक:- 17/12/25

उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जोधपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की बालोतरा आवासीय योजना, जोधपुर के विभिन्न आय वर्ग के उपलब्ध 06 आवास भूखंडों को "ई-बिड सबमिशन" (बुधवार नीलामी) के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.म संख्य I	भूखंड संख्या	आय वर्ग
1.	4/152, 4/182,	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग
2.	3/87, 4/129	निम्न आय वर्ग
3.	4/341	मध्यम आय वर्ग-A
4.	3/137	मध्यम आय वर्ग-B

उपरोक्त वर्णित कुल 06 आवासीय भूखंड को उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंसा एवं मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी, जो निम्नानुसार है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखंडों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है।
3. सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
4. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखंडों का निस्तारण उचित मूल्य के आधार पर किया जावें।

Digitally signed by Ashok Kumar
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.12.17 16:26:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19419056



5. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
6. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. अशोक कुमार)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. उप आवासन आयुक्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.12.17 16:26:31 IST
Reason: Approved